

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।

कार्यालय आदेश

श्री कल्याण वर्ल्ड स्कूल, हाथोज, कालवाड रोड, पंचायत समिति झोटवाडा, जयपुर को अंग्रेजी माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्परचात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिरों का प्रयोग करने हुये सत्र 2006-07 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आवेदन एवं शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत, गुप-5, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प-9(2) शिक्षा-5/05 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.06 की अनुपालना में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मान्यता तथ्य/नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की दी जायेगी।

शर्तों:-

01. कक्षा अनुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
02. छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डानुसार होनी चाहिये।
03. कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जावे।
04. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायगा।
05. 30 सितम्बर के आधार पर नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में सांख्यिकी शाखा में प्रस्तुत करे।
06. शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला में अनिवार्य रूप से जोडकर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।
07. शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं प्रमाण पत्र पूर्णतया वास्तविक एवं सही होने चाहिये।
08. विभागीय आदेशों एवं नियमों की शतप्रतिशत पालना की जानी चाहिये।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक:- जिशिअ/जय/प्राशि/सा0-5/ मान्यता/1683 दिनांक:- 1-11-06

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. श्रीमान लेखाधिकारी शिक्षा गुप-5, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. श्रीमान उपनिदेश, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर समग जयपुर।
03. संस्था सचिव श्री कल्याण वर्ल्ड स्कूल, हाथोज, कालवाड रोड, पंचायत समिति झोटवाडा, जयपुर।
04. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

Goshi
Principal

Vardhman Srikalyan International School
Jaipur

Manager
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur

प्रारूप-2

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/झोट./ 322/2012

दिनांक- 5.12.12

संस्था सचिव

श्री कल्याण वर्डे स्कूल,
हातीप, जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) श्री कल्याण वर्डे स्कूल, हातीप, जयपुर को 01/12/12 से तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा-1 से 3 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाधता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।


Principal

Vardhman Srikalyan International School
Jaipur


Manager
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) JAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: DEO (H-8) / Sec / 392 / 105 / 2021 / 610

दिनांक 28-01-2021

सचिव

प्रबंध समिति

SRIKALYAN WORLD SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोत्पत्ति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36825 और इस सम्बन्ध में संस्था/विद्यालय के साथ किये गए प्रमाणपत्रों पर व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में SRIKALYAN WORLD SCHOOL पता HATHOJ, KALWAR ROAD, JAIPUR - 12 ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय HATHOJ ब्लॉक JHOTWARA को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ -

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	SRIKALYAN WORLD SCHOOL
स्वीकृत नवीन नाम	WARDHMAN SRIKALYAN INTERNATIONAL SCHOOL

Goshi

Principal

Vardhman Srikalyan International School
Jaipur

[Signature]
28-01-21
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, जयपुर

[Signature]
Manager
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur

1. विद्यालय राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा तथा व्रिचित सूचनाएँ अभिलेख अतिरिक्त उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएं प्रारम्भ करनी होंगी। मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।


Principal

Vardhman Srikalyan International School
Jaipur


जिला शिक्षा अधिकारी (सहायता)
राजस्थान, जयपुर


Manager
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
जिला शिक्षा अजमेर
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 - 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
 - 3 वरिष्ठ शोसन उप सचिव, शिक्षा (युप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 4 रक्षित पत्रावली।


28-01-21
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)



Principal
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur



Manager
Vardhman Srikalyan International School
Jaipur